न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2015 निगरानी 2119-PBR-15

हरिप्रसाद शर्मा आ. श्री शंकरलाल जी शर्मा
निवासी गंजीबड़ इछावर तहसील व जिला
सीहोर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. सईद खाँ आ. श्री शुभानखाँ, आयुल्या-क,
निवासी इछावर जिला सीहोर म0प्र0 ....रेस्पाण्डेंट

02. म0प्र0 शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (हरिप्रसाद / सईद खाँ)

प्रकरण कमांक R 2119—पीबीआर / 15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–07–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक अनुपस्थित हा हैं और उसके द्वारा कब्जा भी नहीं हटाया गया है। तहसीलदार द्वारा पटवारी से स्थल रिपोर्ट प्राप्त की गई है, पटवारी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आवेदक द्वारा कब्जा नहीं हटाने का उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा जेल वारंट जारी करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	